अपील / एल.आर. / 5709 / 2005 / पाली
मंदिर श्री जैकलजी महाराज बाली बनाम बागाराम

च्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ.एल दवे, अभिभाषक अपीलांट
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 19.9.2022

निर्णय

यह अपील अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 46 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 24–10–05 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि ग्राम बाली जिला पाली में स्थित ख0नं0 1565 रकबा 0.22है0 मूर्ति मन्दिर श्री जैकल जी महाराज अपीलांट की खातेदारी की आराजी है जिस पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है अपीलांट मन्दिर मूर्ति श्री जैकल जी महाराज शास्वत नाबालिग है एवं प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है किन्तु उपखण्ड अधिकारी बाली ने बिना पत्रावली कायम किए अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बिना प्रतिवेदन मंगवाये ही और ना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये, अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नं0 1565 रकबा 0.22है0 में से 263 वर्ग मी0 बराबर 0.03है0 रकबा सार्वजनिक गांवाई दर्ज करने का आदेश दिनांक 16–3–90 को पारित कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी ने यह अपील दिनांक 31–5–2000 को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार

च्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होने के आधार पर खारिज कर दी जिसकी अपील राजस्व मण्डल में पेश की गई जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 19–7–2000 द्वारा सम्भागीय आयुक्त के श्रवणाधिकार की मानी। अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बाली का आदेश 16–3–90 निरस्त किया। न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट की अपील दिनांक 24–10–05 को अस्वीकार कर दी। सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय मिसल पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश में अपीलांट मन्दिर मूर्ति श्री जैकल जी महाराज को न तो कोई नोटिस दिया गया ना ही सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय ए.आइ.आर.एस.सी. 415 एवं ए.आई.आर. 1972 एस.सी पेज 2083 एवं राजस्व मण्डल ने अपने कानूनी निर्णय 1994 आर.आर.डी पेज 217 एवं 505बी में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने आदेश में मौके का जो सर्वे करवाये जाने का उल्लेख किया है ऐसा कोई सर्वे कार्य नहीं करवाया गया है और ना ही अपीलांट को इस बाबत कोई सूचना दी गई। अतः अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर महत्वपूर्ण कानूनी त्रूटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय दिनांक 24–10–05 तथा उपखण्ड अधिकारी बाली का निर्णय दिनांक 17–3–90 निरस्त किए जाकर खसरा नं0 1565 में से 263 वर्गमीटर भूमि पुनः अपीलांट के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाए। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि	

च्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूनाराम ने उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष विवादगस्त भूमि पर चारदीवारी बनाए जाने की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र लगाया था। उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी। इसी दौरान ग्रामवासियों की ओर से उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि सार्वजनिक भूमि है। इसमें दो कोटडियां व प्याऊ बनी हुई है। कोटडियों में मुर्दों को जलाने हेतु लकडियां रखी जाती है।तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि सार्वजनिक पाई जाने पर ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–3–90 पारित किया गया। जो न्यायोचित है एवं जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 16–3–90 के अनुसार मंदिर की भूमि का क्षेत्रफल 0.13है0 बनता है जबकि रिपोर्ट में 0.22 दर्ज किया गया है इसलिए जो बकाया भूमि है वह सार्वजनिक श्मशान के काम आ रही है तथा श्मशान में उपयोग आने वाली लकडियां दो कमरों में डाली जाती है जो आदेश में उल्लेखित है तथा वादग्रस्त आराजी पर ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के पश्चात ही वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक पाये जाने पर आदेश पारित किया जो न्यायोचित एवं विधि अनुकूल है। उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश में यह भी अंकन किया कि जो कोटडियां बहुत ही पुरानी बनी हुई है एवं सार्वजनिक कोटडियां एवं इनके सामने की पड़त भूमि 2.63 वर्ग मी0 को गलत दर्ज	

च्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर लिया गया है जिसे उपखण्ड अधिकारी ने सार्वजनिक महत्त्व को देखते हुए दुरूस्त करना उचित समझा। उपखण्ड अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उक्त आदेश को अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने भी बहाल रखा है जो विधि सम्मत है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से पूर्णतया सहमत हैं एवं आक्षेपित निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	